

06/02/21

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा को
 वकील शर्मा की वरदा हुंकी जाकर
 पत्रावली का गलत व्यवहार, मन्त्र
 किया गया। पत्रावली से पूर्व से नहीं
 भी पेश हुआ था। साक्ष्य उपस्थित है
 लक्ष्मण लेखक और किन्हीं हरे हैं। वकील
 शर्मा की वरदा से संतुष्ट होने तक
 काद पदी का स्वीकार किया जाकर डिफेंड
 किया जा रहा है। पत्रावली में किन्हीं
 निर्णय रैलिंग देकर झामिला हो तभी
 जारी हो। पत्रावली फैसला सुनार देकर
 मंत्र से काम खेव काफिल करण है।
 निर्णय सुने न्यायालय में सुनार जाकर
 मंत्रे हस्ताक्षर व न्यायालय द्वारा से
 जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेक

